राजस्व वाद 07 / 2021
जीसीएमएस नंबर 2021 / 8
भंवरलाल बनाम् रामदेव वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :— रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 07 / 2021

वादीगण—

1. भंवरलाल पुत्र रामदेव
   जाति—जाट, निवासी अजबपुरा, तहसील—जायल, जिला—नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. रामदेव पुत्र तुलछाराम दर्फ दत्तक पुत्र जगरूपाराम
2. भोलाराम पुत्र रामदेव
3. हनुमानराम पुत्र रामदेव
4. सरजू पुत्री रामदेव
5. हीरा देवी पुत्री रामदेव
6. कमली पुत्री रामदेव
   जातियान—जाट, निवासी अजबपुरा, तहसील—जायल, जिला—नागौर।
7. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा जायल
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :—

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 7 परफॉमा पक्षकार एवं प्रतिवादी संख्या 08 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 14/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा अजबपुरा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 3 रकबा 0.7689 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण से 1 से 6 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर सम्वत् 2074 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ड़) के अनुसार कर सिंव—नींव अलग—अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 2.7761 हैक्टेयर अर्थात 17.03 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी भोलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 1.9991 हैक्टेयर अर्थात 12.07 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 3 रकबा 0.7689 पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 2.7761 हैक्टेयर

14/05/2022

अर्थात 17.03 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव ने उपरोक्त खसरा में से कोई बंट नहीं रखा गया है क्यों कि उनके हक बंट में अलग भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 सरजू,कमला,हीरा के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 में से रकबा 0.0323 हैक्टेयर अर्थात 0.04 बीघा में माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ता रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 28.07.2021 व 30.09.2021 को ईकबाली जवाब/राजीनामा जवाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने। ईकबाली जवाब/राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का समन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जवाब राजीनामा जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह भंवरलाल पुत्र रामदेव , रामदेव पुत्र तुलछाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम अजबपुरा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 93, 94 प्रदर्श–1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जवाब राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जवाब राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शा अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 ने हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जवाब राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जवाब राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब राजीनामा दिनांक 27.07.2021 व 30.09.2021 तथा शपथ पत्र दिनांक 25.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 परर्फोमा पक्षकार एवं राजपैरोकोर को परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब राजीनामा दिनांक 27.07.2021 व 30.09.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा अजबपुरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि निहित होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा खेत खसरा नंबर 3 रकबा 0.7689 पूरा प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट में तथा शेष मुतदाविया खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर की भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य ईकबाली जबाब/राजीनामा व शपथपत्र अनुसार बंट चाहा है जो कि पूर्ण रूपेन विभाजन नहीं है अतः खसरा नंबर 11 की भूमि का बंटवाड़ा पूर्ण विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 25.11.2021 को प्राथमिक डिक्री किया के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 25.11.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 913 दिनांक 22.2.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रामदेव , भंवरलाल ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान रामनारायण एवं श्रवणराम तथा भू. अभि.निरीक्षक दुगोली की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 4 से 6 कमश का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा अजबपुरा तहसील जायल के खेत खसरा नं. 11, 3 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

राजस्व वाद 07/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/8
भंवरलाल बनाम् रामदेव वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा अजबपुरा तहसील जायल के खेत खसरा नं. 11, 3 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 2.7761 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी भोलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 1.4327 हैक्टेयर एवं 0.05666 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 3 रकबा 0.7689 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 2.7761 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 6 सरजू,कमला,हीरा के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. वादी भंवरलाल, प्रतिवादी भोलाराम, हनुमानराम के हक संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा के खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 में से रकबा 0.0323 हैक्टेयर में भूमि माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ते के उपयोग एवं उपभोग हेतु रखी गई है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 07/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/8
भंवरलाल बनाम् रामदेव वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 07/2021

वादीगण–

1. भंवरलाल पुत्र रामदेव
जाति–जाट, निवासी अजबपुरा, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामदेव पुत्र तुलछाराम दर्फ दत्तक पुत्र जगरूपाराम
2. भोलाराम पुत्र रामदेव
3. हनुमानराम पुत्र रामदेव
4. सरजू पुत्री रामदेव
5. हीरा देवी पुत्री रामदेव
6. कमली पुत्री रामदेव
जातियान–जाट, निवासी अजबपुरा, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
7. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा जायल
8. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 7 परर्फोमा पक्षकार एवं प्रतिवादी संख्या 08 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा व प्रतिवादी संख्या 7 परर्फोमा पक्षकार व 8 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा अजबपुरा तहसील जायल के खेत खसरा नं. 11, 3 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 2.7761 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

14/05/2022

2. वादी भोलाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 1.4327 हैक्टेयर एवं 0.05666 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 3 रकबा 0.7689 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 हैक्टेयर में से रकबा 2.7761 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 6 सरजू,कमला,हीरा के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. वादी भंवरलाल, प्रतिवादी भोलाराम, हनुमानराम के हक संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा के खेत खसरा नंबर 11 रकबा 7.5838 में से रकबा 0.0323 हैक्टेयर में भूमि माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ते के उपयोग एवं उपभोग हेतु रखी गई है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)